रजिस्ट्री सं० डी० एल०-33004/99 REGD. NO. D. L.-33004/99

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY
भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1
प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 202] नई दिल्ली, मंगलवार, जुलाई 28, 2015/श्रावण 6, 1937
No. 202] NEW DELHI, TUESDAY, JULY 28, 2015/SRAVANA 6, 1937

गृह मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 जुलाई, 2015

फा. सं. 1-5/2013 –एनडी आर एफ.—गृह मंत्री, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल में, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सदस्यों द्वारा उनके कार्यकाल के दौरान उनके द्वारा किए गए बेदाग, नि:स्वार्थ कार्य और समर्पित सेवा के सम्मानस्वरूप राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के सदस्यों के लिए ''आपदा मोचन पदक'' के नाम से एक पुरस्कार आरंभ करते हैं तथा उन्हें शासित करने के लिए निम्नलिखित कानून बनाते और स्थापित करते हैं जो इस अधिसूचना के प्रकाशन के समय से प्रभावी हुए समझे जाएंगे।

पहला-यह पुरस्कार एक पदक के रूप में होगा तथा इसका नाम ''आपदा मोचन पदक'' (जिसे इसमें इसके पश्चात पदक कहा गया है) होगा।

दूसरा- 3.4 सेमी. व्यास के आकार का कांसे से बना यह पदक वृत्ताकार रूप में होगा तथा इस पदक पर इसके किनारे के ठीक नीचे अर्ध वृत्त में **2 सेमी**. व्यास में नीले रंग का समबाहु त्रिभुज होगा जिसके चारों ओर एक समबाहु त्रिभुज होगा तथा इसका फीता (रिबन) नीले और नारंगी रंग का होगा अर्थात् दोनों ओर नारंगी रंग तथा बीच में नीला रंग क्षितिजाकार (होरीजोन्टल) रूप में होगा जिसकी चौड़ाई **3.6 सेमी.** तथा लम्बाई **6 सेमी.** होगी, जिस पर ''आपदा मोचन पदक'' लिखा होगा जिसकी फिटिंग आकर्षक और उत्तम प्रकार की होगी तथा पदक पर भारत के मानचित्र का भौगोलिक चित्र होगा जिस पर अर्ध वृत्ताकार रूप में ''आपदा मोचन पदक'' शब्द और **"Disaster Response Medal"** लिखे होंगे तथा पदक के पीछे की ओर मध्य भाग में राज्य संप्रतीक उत्कीर्ण होगा और उसके चारों ओर एक अलंकृत हार होगा जिसमें एक दूसरे से समान दूरी पर 37 स्पोक होंगे। राज्य संप्रतीक में वृत्ताकार रूप में ''एन डी आर एफ वालों के लिए'' तथा **"FOR NDRF PERSONNEL"** शब्द

लिखे होंगे। इसके दोनों ओर एक स्टार ऊपरी तथा निचले अर्धवृत्तों को पृथक करेगा। राज्य संप्रतीक के नीचे ''सत्यमेव जयते'' शब्द उत्कीर्ण होंगे।

तीसरा-पदक को 35 मिलीमीटर चौड़े एक फीते (रिबन) से सीने के बांयी ओर लटकाया जाएगा। रिबन नीले और नारंगी रंग का होगा अर्थात् दोनों ओर नारंगी रंग तथा बीच में नीला रंग होगा।

चौथा- यह पदक महानिदेशक, राष्ट्रीय आपदा मोचन बल को छ: माह की सेवा पूरी करने पर और राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के अन्य अधिकारियों/कार्मिकों को तीन वर्ष की सेवा पूरी करने पर प्रदान किया जाएगा।

पांचवा- राष्ट्रीय आपदा मोचन बल के जिन कार्मिकों को यह पुरस्कार प्रदान किया जाएगा उनके नाम बटालियन के रुटीन ऑर्डर/सर्विस ऑर्डर में प्रकाशित किए जाएंगे तथा उसकी एक प्रति संबंधित व्यक्ति के सेवा दस्तावेजों में लगाई जाएगी।

छठा- गृह मंत्री किसी भी व्यक्ति को उपर्युक्त पदक के पुरस्कार को रद्द करने तथा उसको निष्प्रभावी करने के लिए सक्षम होंगे।

सातवां- गृह मंत्री इन कानूनों के प्रयोजन हेतु नियम बनाने के लिए सक्षम होंगे।

के.के. पाठक, संयुक्त सचिव (डी एम)

MINISTRY OF HOME AFFAIRS

NOTIFICATION

New Delhi, the 23rd July, 2015

F. No. 1-5/2013-NDRF.— The Home Minister is pleased to institute an award to be conferred on members of National Disaster Response Force (NDRF) to recognize their unblemished, selfless work and dedicated service rendered by them during their tenure with the NDRF to be designated "Disaster Response Medal" and to make ordain and establish the following statutes governing them which shall be deemed to have effect from the publication of this Notification.

Firstly- The award shall be in the form of a Medal and styled and designated as the "Disaster Response Medal" (hereinafter referred to as the medal).

Secondly- The medal shall be circular in shape made of bronze in **3.4 cms** diameter dimension, blue equilateral triangle on the body of the medal in **2 cms** dimension in semi-circle just below the edge of medal and rounded with equilateral triangle, Ribbon of blue and orange colour i.e. orange colour on both the sides and blue colour in centre in horizontal form having **3.6 cms** width and **6 cms** length, horizontal with the inscription "Disaster Response Medal" with decorative standard fitting and shall have embossed on the obverse a geographical outline of the map of India with inscribed the words "आपदा मोचन पदक" and the words "**Disaster Response Medal**" in semi-circular shape. On reverse it shall have embossed the State Emblem in the centre and circled by a decorative wreath having 37 spokes placed on equal distance from each. The State emblem shall have inscribed the words "एन डी आर एफ वालों के लिए" and the words "**FOR NDRF PERSONNEL**" in circular shape. A star on either side shall separate the upper and lower semi-circles. The words " सत्यमेव जयते" shall be embossed below the National Emblem.

Thirdly- The medal shall be suspended from the left breast by a ribbon of 35 millimeters width. The ribbon shall be blue and orange colour i.e. orange colour on both the sides and blue colour.

Fourthly- The medal shall be awarded to DG, NDRF on completion of six months service and other NDRF officers/personnel on completion of three years of service.

Fifthly- The names of NDRF personnel who are awarded this medal shall be published in the Battalion Routine Order/Service Order and a copy of it shall be kept in the service documents of the concerned person.

Sixthly- The Home Minister will be competent to cancel and annul the award of the above medal to any person.

Seventhly- The Home Minister will be competent to make rules to carry out the purposes of these Statutes.

K.K. PATHAK, Jt. Secy. (DM)

Printed by the Manager, Government of India Press, Ring Road, Mayapuri, New Delhi-110064
and Published by the Controller of Publications, Delhi-110054.